

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

21.06.2023	<p style="text-align: center;">न्यायालय उपायुक्त, राँची</p> <p style="text-align: center;"><u>दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं० 38 आर० 15/2021-22</u></p> <p>श्रीमती सवोदरा देवी पति श्री मुचीराम महतो, निवासी ग्राम-होटलो, टोला धतकीजारा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला राँचीप्रार्थी।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>राज्य</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 83/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2020 के विरुद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची ने प्रार्थी द्वारा दायर उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, राहे के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-322 आर०27/2019-20 में दिनांक 03.05.2020 को पारित आदेश का बहाल रखा, जिसके तहत विद्वान अंचलाधिकारी, राहे ने प्रार्थी द्वारा मौजा होटलो, थाना सं० 95, थाना राहे, जिला राँची के खाता सं० 152, प्लॉट सं० 315 रकबा 0.84 एकड भूमि के नामान्तरण हेतु दायर आवेदन को यह आयोजित करते हुए अस्वीकृत कर दिया कि आवेदित भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) का उलंघन हुआ है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - प्रार्थी ने मौजा होटलो, थाना सं० 95, थाना राहे, जिला राँची के खाता सं० 152, प्लॉट सं० 315 रकबा 0.84 एकड भूमि को बिशेश्वर महतो एवं नवकृष्ण महतो पिता दिलनाथ महतो से निबंधित पट्टा सं० 3210 दिनांक 26.03.2004 द्वारा क्रय किया है। उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् प्रार्थी उक्त प्रश्नगत भूमि पर दखलकार होकर कृषि कार्य करती चली</p>	
------------	---	--



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2

आ रही है। उन्होंने अंचल अधिकारी राहे के समक्ष अपने उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन समर्पित किया, जिसे विद्वान अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अस्वीकृत कर दिया। प्रार्थी द्वारा समर्पित आवेदन के विरुद्ध न तो प्रार्थी के विक्रेता और न ही किसी अन्य के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज किया गया। प्रस्तुत मामले में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) से प्रभावित है। सक्षम पदाधिकारी से भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त नहीं है। अतएव इस आधार पर विद्वान अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा W.P(PIL)No- 758/2011 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक-25.12.2012 से पूर्व हुए हस्तांतरण पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) (बी०) प्रभावी नहीं होगा।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी ने मौजा होटलो, थाना सं० 95, थाना राहे, जिला राँची के खाता सं० 152, प्लॉट सं० 315 रकबा 0.84 एकड़ भूमि को बिशेश्वर महतो एवं नवकृष्ण महतो पिता दिलनाथ महतो से निबंधित पट्टा सं० 3210 दिनांक 26.03.2004 द्वारा क्रय किया है, जो कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य है। कुर्मी (महतो) जाति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) (बी०) के निमित्त अन्य पिछड़े वर्ग के तौर पर अधिसूचित है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) (बी०) के अनुसार उक्त प्रावधान के निमित्त अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्ग सदस्य की भूमि का हस्तांतरण बिना उपायुक्त के अनुमति के नहीं की जा सकती है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान के उलंघन से हुए हस्तांतरण को किसी भी न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (3) के अनुसार - *No transfer of contravention of sub-section (1), shall be registered or shall be in any way recognized as valid by*



देश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

3

any Court, whatever in exercise, of civil, criminal or revenue jurisdiction


छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वर्णित प्रावधान के अक्षरसः अनुपालन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा में W.P(PIL)No- 758/2011 में निम्नलिखित निदेश पारित किया गया है - *we are making it clear for clarity of all the Officers dealing with matters under the Chhotanagpur Tenancy Act that they have to follow the laws in its true spirit and to protect the rights of the citizens.*


उपरोक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का क्रेता-विक्रेता कुर्मी जाति है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) से आच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) (बी०) का उल्लंघन हुआ है, जिसकी मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 83/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2020 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची


उपायुक्त
राँची